

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश के आदेश एफ 10(4) गुप-2/एफडी/76/ दिनांक 13.03.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.98 एवं एफडी/ रूल्स/2010 दिनांक 25.04.2012 के अंतर्गत श्री विजय कुमार जैन, व्याख्याता- इतिहास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सवीनाग्राम-नेला गिर्वा- उदयपुर को इनके आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने की तिथि 11.02.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत जो अधिकतम 800/- (अष्टशे छः सौ रूपये मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकरिमक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

IAS


निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिचिस-माध्य/संस्था/सी-2/वाणि-इति/विकलांग भत्ता/2019

दिनांक:- 14/2/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा.....
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय).....
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी.....
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राउमावि सवीनाग्राम-नेला -गिर्वा - उदयपुर
5. संबंधित कार्मिक।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-:: कार्यालय आदेश ::-

राज्य सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम-1976 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक : एफ. 10(4) ग्रुप-2/एफ.डी./76 दिनांक : 13.10.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.08 एवं एफ. 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक : 25.04.12 के अन्तर्गत सुश्री सुनिता मोहता व्याख्याता जीव विज्ञान, राबाउमावि बारहगुवाड, बीकानेर को इनके आवेदन की दिनांक 18.01.19 से उनके मूल वेतन का 6 प्रतिशत जो अधिकतम रूपये 600/- (अखरे रूपये छः सौ मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहत भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा./संस्था/सी-4/रजीग/विकलांग भत्ता/2018-19

दिनांक : 15.02.19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, बीकानेर
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा, बीकानेर
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा) मुख्यालय, बीकानेर
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीकानेर
5. संबंधित संस्था प्रधान,
6. संबंधित कार्मिक,
7. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## -:: कार्यालय आदेश ::-

राज्य सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम-1976 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक : एफ. 10(4) ग्रुप-2/एफ.डी./76 दिनांक : 13.10.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.08 एवं एफ. 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक : 25.04.12 के अन्तर्गत श्रीमती नेहा यादव व्याख्याता गृह विज्ञान, राज. जवाहर बजाज बाउमावि हिम्मटसर, नोखा को इनके आवेदन की दिनांक 28.06.18 से उनके मूल वेतन का 6 प्रतिशत जो अधिकतम रूपये 600/- (अखरे रूपये छः सौ मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहत भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 15.02.19

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/विकलांग भत्ता/2018-19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संस्था निदेशक स्कूल शिक्षा, बीकानेर
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा, बीकानेर
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (ना) मुख्यालय, बीकानेर
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीकानेर
5. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य राबाउमावि हिम्मटसर, नोखा बीकानेर/बा0 गटाणी नोखा, बीकानेर
6. संबंधित कार्मिक, श्रीमती नेहा यादव व्या0 गृह विज्ञान
7. सिस्टम एनेलेसिस्ट-कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर